योजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना
प्रेस–विज्ञप्ति

1. मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक एवं 150 बालिका अर्थात् कुल 3900 बालक/बालिकाओं को एक वर्ष तक प्रतिमाह रू0 1500/– की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।
2. छात्रवृत्ति केवल 08 से 14 आयु तक (08–09 वर्ष, 09–10 वर्ष, 10–11 वर्ष, 11–12 वर्ष, 12–13 वर्ष, 13–14 वर्ष के प्रत्येक आयुवर्ग के 25 बालक एवं 25 बालिका खिलाड़ी) के प्रति जनपद 300 खिलाड़ियों को दी जाएगी।
3. छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु निम्नाकिंत स्तर पर प्रतिभाग करने हेतु प्रत्येक विद्यालय से 02 बालक एवं 02 बालिकाऐं (प्रति आयुवर्ग) का चयन संबंधित विद्यालयों द्वारा स्वयं किया जायेगा। तदोपरान्त चयन विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षण के आधार पर किया जायेगा, जिसके अंतिम चयन की प्रक्रिया जनपद स्तर पर होगी। संपूर्ण चयन प्रक्रिया जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति के पर्यवेक्षण में सम्पन्न होगी।

क्र. सं.	स्तर	प्रतिभागी स्रोत	अगले चरण हेतु चयनित संख्या
1	न्याय पंचायत/नगर पंचायत	**समस्त विद्यालयों से–** 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रतिभागी	**विकास खण्ड स्तर हेतु–** 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग
2	(क) नगर निगम/नगर पालिका स्तरीय चयन समिति	**समस्त विद्यालयों से–** 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रतिभागी	**जनपद स्तर हेतु–** **(क) नगर पालिका से–** 03 बालक एवं 03 बालिका प्रति आयु वर्ग (मात्र जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति नगर पालिका– 05 बालक एवं 05 बालिका प्रति आयुवर्ग) **(ख) नगर निगम से–** 06 बालक एवं 06 बालिका प्रति आयु वर्ग
3	(ख) प्रत्येक विकास खण्ड से	**न्याय पंचायत/नगर पंचायत से–** 02 बालक एवं 02 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग	**जनपद स्तर हेतु–** **विकास खण्ड से –** 06 बालक एवं 06 बालिकाएं प्रति आयुवर्ग (मात्र जनपद रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चम्पावत हेतु प्रति विकास खण्ड– 10 बालक एवं 10 बालिका प्रति आयुवर्ग)

4. आयु की गणना चयनित वर्ष के 01 जुलाई से की जायेगी अर्थात् किसी आयुवर्ग में सम्मिलित होने के लिए उसका जन्म संबंधित वर्ष के 01 जुलाई या इसके बाद का होगा।

5. विभाग द्वारा ऐसे बालक एवं बालिकाओं को छात्रवृत्ति दिये जाने पर विचार किया जायेगा, जो उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी हो।
6. ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो राज्य सरकार अथवा भारतीय खेल प्राधिकरण के अधीन खेल छात्रावास अथवा स्पोर्ट्स कॉलेज में प्रशिक्षणरत् है, वो सभी इस खेल छात्रवृत्ति योजना के लिए अपात्र होगें।
7. चयन प्रक्रिया निम्न शारीरिक दक्षताओं के आधार पर किया जायेगा–
   (1) 30 meter flying Run **(2)** Standing Broad Jump, **(3)** Forward Bend & Reach, **(4)** 6X10 Shuttle Run **(5)** Medicine Ball Put **(6)** 600 Meter Run
8. चयन प्रक्रिया हेतु स्थल एवं तिथियों की जानकारी हेतु संबंधित जिला क्रीड़ाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।
9. न्याय पंचायत या वार्ड स्तर पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण करना अनिवार्य है।
10. आयु प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति प्रतिभागी को साथ लाना अनिवार्य है।
11. योजना के संबंध में अधिक जानकारी संबंधित जनपद के जिला खेल कार्यालय एवं खेल विभाग की बेवसाईट www.sports.uk.gov.in/Scholarship से प्राप्त किया जा सकता है।

निदेशक खेल, उत्तराखण्ड